भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 666

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल योजनाओं का प्रदर्शन

666. श्री बी॰ के॰ हरिप्रसादः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार द्वारा सभी को पेयजल मुहैया कराने के लिए कर्णाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए निधियों की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) प्रत्येक वर्ष फरवरी और अप्रैल में, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का काम देखने वाले राज्य सरकार के विभागों के साथ वार्षिक एक्शन प्लान (एएपी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति की समीक्षा की जाती है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

एनआरडीडब्ल्यूपी की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा कार्यशालाओं, बैठकों और विडियो कॉफ्रेंस में भी की जाती हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी को अधिक स्पर्धात्मक, लक्ष्य आधारित तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया है जहां यह फोकस सभी ग्रामीण आबादी और परिवारों को पाइपयुक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराने पर है।

(ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देश में यथा उल्लिखित इस कार्यक्रम के तहत बजटीय आबंटन के अनुरूप पूर्व-अनुमोदित मानदंड के अनुसार सभी राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। दिनांक 13.12.2018 तक कर्नाटक राज्य सहित जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 666 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
क्र. सं.	**राज्य**	**एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों की रिलीज (करोड़ रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार	0.31
2	आंध्र प्रदेश	103.87
3	अरुणाचल प्रदेश	66.65
4	असम	202.01
5	बिहार	234.84
6	छत्तीसगढ़	48.19
7	गोवा	1.67
8	गुजरात	163
9	हरियाणा	40.94
10	हिमाचल प्रदेश	85.43
11	जम्मू एवं कश्मीर	154.53
12	झारखंड	66.48
13	कर्नाटक	174.87
14	केरल	84.86
15	मध्य प्रदेश	175.41
16	महाराष्ट्र	239.06
17	मणिपुर	37.73
18	मेघालय	36.05
19	मिजोरम	19.25
20	नागालैंड	17.36
21	ओडिशा	77.5
22	पुडुचेरी	0
23	पंजाब	73.51
24	राजस्थान	508.52
25	सिक्किम	10.89
26	तमिलनाडु	90.5
27	तेलंगाना	90.34
28	त्रिपुरा	27.59
29	उत्तर प्रदेश	499.59
30	उत्तराखंड	49.58
31	पश्चिम बंगाल	788.29
कुल		**4,168.82**